


नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

पंजीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की सूचना

शासनादेश संख्या-742/30-4-2000-7के0एम0-85, दिनांक 11.08.2000 के अनुपालन में परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन में लघु उद्योग इकाई के रूप में वाराणसी मण्डल के अन्तर्गत पंजीकृत "A" श्रेणी के गैराजों को नगर पालिका परिषद, जौनपुर के वाहनों के अनुरक्षण के लिए नगर पालिका में पंजीयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

आवेदन का निर्धारित प्रारूप प्रभारी परिवहन व कार्यशाला, नगर पालिका परिषद, जौनपुर के कार्यालय से दिनांक 15.10.2019 से प्राप्त किये जा सकते हैं। सभी प्रमाणित प्रपत्रों सहित आवेदन दिनांक 25.10.2019 तक पालिका कार्यालय में जमा कराये जा सकते हैं। विस्तृत विवरण नगर पालिका परिषद, जौनपुर की वेबसाइट www.nppjaunpuronline.org से प्राप्त की जा सकती है।


अधिशारी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रपत्र का मूल्य-1000+GST

कार्यालय नगर पालिका परिषद, जौनपुर

नगर पालिका परिषद, जौनपुर के परिवहन मरम्मत हेतु परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ एवं उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश शासन में लघु उद्योग इकाई के रूप में पंजीकृत "A" श्रेणी के गैराजों का पंजीकरण प्रपत्र

1. फर्म का नाम -
2. फर्म का प्रकार -
3. फर्म/प्रोपराइटर का पता -
4. फर्म/प्रोपराइटर का पैन नं० -
5. फर्म/प्रोपराइटर का जी०एस०टी० नं० -
6. परिवहन आयुक्त कार्यालय का पंजीकरण संख्या -
7. गैराज का पता -
8. गैराज का क्षेत्रफल -
9. गैराज का स्वामित्व का प्रकार -
10. कुल कार्यरत मैकेनिक/फिटर/अकुशल कर्मी -
11. प्रत्येक का विवरण एवं अनुभव आधार कार्ड सहित -
12. फर्म का अनुभव (यदि कोई है) -
13. सम्बन्धित सभी दावों की सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
14. आवेदन फार्म को यदि पंजीकरण हेतु पात्र पाया जाता है तो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व रू० 1 लाख की धरोहर राशि जमा करनी होगी।
15. पंजीकरण हेतु पात्र फर्म से रिपेयरिंग की शर्तों का पृथक से अनुबन्ध किया जाएगा।
16. गैराज में कार्यरत मैकेनिक/फिटर/अकुशल कर्मी का श्रम विभाग में एक माह में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।